दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 10/09/2018 का कार्यवृत्त

1	प्रो0 विजय कृष्ण सिंह	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो0 एस0के0 दीक्षित	प्रतिकुलपति	सदस्य
3	प्रो0 जितेन्द्र मिश्र	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
4	प्रो0 गोपी नाथ	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
5	प्रो0 हरिशरण	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
6	प्रो0 एन0पी0 भोक्ता	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
7	प्रो0 सी0पी0 श्रीवास्तव	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
8	डॉ0 अवधेश सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
9	प्रो0 चित्तरंजन मिश्र	आचार्य, हिन्दी विभाग	सदस्य
10	प्रो0 विनोद कुमार सिंह	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ	आमंत्रित सदस्य
11	डॉ0 एस0एन0 शर्मा	अध्यक्ष, गुआक्टा	कोआप्टेड सदस्य
12	प्रो0 रविशंकर सिंह	अधिष्ठाता, छात्रकल्याण	विशेष आमंत्रित
13	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	कुलसचिव	सदस्य
14	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव

कार्यसूची–

1. उत्तराखण्ड शासन द्वारा गठित एस0आई0टी0 द्वारा फर्जी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के सम्बन्ध में पत्र संख्या–एस0आई0टी0–1(HRD)/2017 दिनांक 05 जुलाई, 2018 के क्रम में *कु0 नीलम कुमारी पुत्री श्री सुखदेव सिंह, बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57187*, परीक्षा केन्द्र–दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के प्रमाणपत्रों की जांच हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति–
   1. अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय, (प्रो0 एन0पी0 भोक्ता) – संयोजक
   2. प्रो0 अहमद नसीम, विधि संकाय – सदस्य
   3. परीक्षा नियंत्रक – अभिलेख प्रस्तुतकर्ता

   की संस्तुतियों पर विचार–

निर्णयः समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मति से जांच समिति की निम्नलिखित संस्तुतियों को स्वीकार किया–

"(क) कु0 नीलम कुमारी पुत्री श्री सुखदेव सिंह बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57187 परीक्षा केन्द्र–दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का अंकपत्र/प्रमाणपत्र फर्जी है तथा निरस्त किए जाने योग्य है।

अतः उक्त छात्रा का अंकपत्र/प्रमाणपत्र फर्जी होने के सम्बन्ध में एस0आई0टी0 उत्तराखण्ड को सूचित किया जाना उचित होगा।

(ख) विश्वविद्यालय केन्द्र का बी0एड0 वर्ष–1999 की सारणीयन पंजिका जो अभिलेख कक्ष में है के साथ विभागीय सारणीयन पंजिका की प्रमाणित प्रति भी विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष में रखी जाय एवं आगे इन सत्रों के छात्रों के अभिलेख सत्यापन के समय दोनों सारणीयन पंजिकाओं को देखकर ही सत्यापन पत्र निर्गत किया जाय।

(ग) इस संदर्भ में जांच समिति विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष की बी0एड0 वर्ष–1999 से सम्बन्धित सारणीयन पंजिका में की गयी टेम्परिंग आदि के सम्बन्ध में जांच हेतु एक अलग से जांच समिति गठित करने एवं जांच की कार्यवाही परीक्षा समिति को संदर्भित करने की संस्तुति करती है।"

तथा समिति के संस्तुति के अनुरूप अग्रेत्तर कारवाई कराने हेतु निर्णय लिया।

2. जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिमी–चम्पारण, बेतिया, बिहार से सत्यापन हेतु प्राप्त पत्र संख्या–1314 दिनांक 04/05/2018 जो **श्री सतीश कुमार पाठक** पुत्र श्री अमर नाथ पाठक एवं **श्री सुरेश प्रसाद गुप्त** पुत्र श्री गणेश प्रसाद गुप्त, बी0एस–सी0 (कृषि) अंतिम वर्ष–1980, अनुक्रमांक क्रमशः 100275 एवं 100223 परीक्षा केन्द्र–बी0आर0डी0पी0जी0 कालेज, देवरिया के सत्यापन आख्या भेजने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष में बी0एस–सी0 (कृषि) अंतिम वर्ष–1980, परीक्षा केन्द्र–बी0आर0डी0पी0जी0 कालेज, देवरिया के सारणीयन पंजिका काफी ढूठवाने के बावजूद उपलब्ध नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 01/08/2018 द्वारा प्राचार्य, बी0आर0डी0 पी0जी0 कालेज, देवरिया से सारणीयन पंजिका की प्रमाणित छायाप्रति की मांग की गयी। प्राचार्य ने अपने पत्र दिनांक 18/08/2018 द्वारा सूचित किया कि महाविद्यालय में उपलब्ध सारणीयन पंजिका पर अनुक्रमांक का रेंज 100119 से 100306 तक अंकित है, लेकिन महाविद्यालय में अनुक्रमांक–100119 से 100238 तक का पेज ही उपलब्ध है, जिसमें सुरेश प्रसाद गुप्त अनुक्रमांक–100223 ने

1146/2100 अंक प्राप्त कर द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण है, लेकिन अनुक्रमांक–100275 की सारणीयन पंजिका महाविद्यालय में भी उपलब्ध नहीं है।

तद्पश्चात माननीय कुलपति जी के अनुमति के क्रम में अनुक्रमांक–100275 श्री सतीश कुमार पाठक की अंकतालिका प्राचार्य को प्रेषित कर यह पृच्छा की गयी है कि श्री पाठक की अंकतालिका महाविद्यालय द्वारा निर्गत है कि नहीं। विश्वविद्यालय के पत्र के उत्तर में प्राचार्य ने अपने पत्र दिनांक 24/08/2018 द्वारा सूचित किया कि– श्री सतीश कुमार पाठक की अंकतालिका महाविद्यालय द्वारा निर्गत है, सूचना से अवगत होते हुए अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

तदक्रम में श्री सतीश कुमार पाठक के अंकपत्र सत्यापन पर विचार।

निर्णयः समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्राचार्य, बी0आर0डी0 पी0जी0 कालेज, देवरिया की आख्या के क्रम में श्री सतीश कुमार पाठक पुत्र श्री अमर नाथ पाठक, अनुक्रमांक–100275 एवं श्री सुरेश प्रसाद गुप्त पुत्र श्री गणेश प्रसाद गुप्त, अनुक्रमांक–100223, बी0एस–सी0 (कृषि) अंतिम वर्ष–1980, परीक्षा केन्द्र–बी0आर0डी0पी0जी0 कालेज, देवरिया की अंकतालिका का सत्यापन कर दिया जाय तथा इसे अभिलेख/रिकार्ड में भी दर्ज कर लिया जाय।।

3. गत वर्ष 2017 में राज्य सरकार ने उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग के निवारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–197/सत्तर–1–2017–16(37)/2012 लागू किया है। ऐसी स्थिति में इस तरह के प्रकरणों/संदर्भ में अनुचित साधन प्रयोग (UFM) का निस्तारण कैसे होगा के प्रकरण पर माननीय कुलपति जी के निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय अधिवक्ता से विधिक सलाह मांगी गयी थी, जिसमें विधिक सलाहकार ने अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि–"वार्षिक परीक्षा वर्ष–2017 एवं सेमेस्टर परीक्षा वर्ष–2017 में परीक्षा के समय अनुचित साधन प्रयोग (UFM) में आरोपित छात्रों के परीक्षाफल का निस्तारण विश्वविद्यालय में पूर्व से प्रचलित नियमावली/अध्यादेश के अनुसार कार्यवाही किया जा सकता है, उपरोक्त कार्यवाही से वांछित छात्रों के विरूद्ध अनुचित साधन प्रयोग के सम्बन्ध में दर्ज एफ0आई0आर0 या अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा"। जिसके क्रम में माननीय कुलपति जी द्वारा विधिक राय के अनुसार वर्ष–2017 में कार्यवाही पूर्ण का ली गई।

इसी तरह इस वर्ष वार्षिक परीक्षा वर्ष–2018 में अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत कुल–214 अभ्यर्थी नकल में आरोपित हुए थे, उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन विषय विशेषज्ञ द्वारा कराने के बाद, सम्बन्धित छात्रों को आरोप पत्र प्रेषित करने के उपरान्त उत्तरपुस्तिकाओं का "अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति" द्वारा निस्तारण किया गया है। "अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति द्वारा 33 छात्रों को दोषमुक्त किया गया, 124 छात्रों का वर्ष–2018 का परीक्षाफल निरस्त किया गया तथा 57 छात्रों का वर्ष–2018 का परीक्षाफल निरस्त एवं 2019 की परीक्षा से वंचित किया गया है।

माननीय कुलपति जी आदेश के क्रम में अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति की संस्तुतियों पर समय से परिणाम देने हेतु परीक्षा समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। कार्योत्तर परीक्षा समिति से अनुमोदन पर विचार–

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से वार्षिक परीक्षा वर्ष–2018 में अनुचित साधन प्रयोग में आरोपित छात्रों की उत्तरपुस्तिकाओं पर 'अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति' द्वारा की गयी संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए कार्योत्तर कार्यवाही से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।

अन्य बिन्दु माननीय कुलपति जी के अनुमति से

1. शिवम पाण्डेय, अनुक्रमांक–1714150010013, एम0बी0ए0 तृतीय सेमेस्टर बैकपेपर वर्ष–2017, मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम प्रश्नपत्र की परीक्षा में सम्मिलित हुआ था, किन्तु पुनः उस प्रश्नपत्र में बैक हो गया जबकि प्रार्थी एम0बी0ए0 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण हैं। विभागाध्यक्ष/अधिष्ठाता (वाणिज्य) प्रो0 गोपीनाथ ने प्रार्थी को सत्र 2018–19 में बैकपेपर की परीक्षा में सम्मिलित होने तथा एक अवसर देने की संस्तुति की है।

निर्णय–समिति ने सर्वसमिति से अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय की संस्तुति के क्रम में शिवम पाण्डेय, अनुक्रमांक–1714150010013, एम0बी0ए0 तृतीय सेमेस्टर बैकपेपर वर्ष–2017 की परीक्षा, सत्र 2018–19 की संगत बैकपेपर परीक्षा के साथ सम्पन्न करा लिया जाय तथा इसे भविष्य में नज़ीर न माना जाय।

2. प्री पी–एच0डी0 कोर्स वर्क परीक्षा वर्ष–2017 कराने पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसमिति से प्रो0 सुग्रीव नाथ तिवारी, विभागाध्यक्ष भौतिकी विभाग, दी0द0उ0गो0वि0वि0गोरखपुर को प्री पी–एच0डी0 कोर्स वर्क परीक्षा वर्ष–2017 सम्पन्न कराने हेतु समन्वयक नियुक्त करने की संस्तुति करते हुए परीक्षा कराने हेतु अधिकृत किया।

परीक्षा नियंत्रक

कुलपति